20-08-2025 को माननीय संचार राज्य मंत्री के साथ भारतीय दूरसंचार मंच (बीडीएम) नेताओं की बैठक का अपडेट:

भारतीय दूरसंचार मंच (बीडीएम) के नेताओं, जिसमें बीडीएम के अध्यक्ष और एआईजीईटीओए के महासचिव श्री रवि शील वर्मा, बीडीएम के संयोजक और बीटीईयू बीएसएनएल के महासचिव श्री आर.सी. पांडे, एआईजीईटीओए के अध्यक्ष श्री जी. वीरभद्र राव, और बीडीएम के सह-संयोजक और एआईजीईटीओए के उप-महासचिव श्री पवन अखंड शामिल थे, ने 17 जुलाई को माननीय संचार मंत्री को सौंपे गए एजेंडा बिंदुओं पर अनुवर्ती बैठक के लिए माननीय संचार राज्य मंत्री श्री पेम्मासानी चंद्रशेखर जी से मुलाकात की। 40 मिनट की इस बैठक में माननीय संचार राज्य मंत्री के कार्यालय में उन एजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई, जो उनके कार्यालय द्वारा संभाले जा रहे हैं। माननीय संचार राज्य मंत्री ने कहा कि वे एआईजीईटीओए और बीटीईयू द्वारा बीडीएम के तत्वावधान में उठाए गए मुद्दों से अवगत हैं और वे व्यक्तिगत रूप से उन बिंदुओं की निगरानी कर रहे हैं जो माननीय संचार मंत्री ने उनके कार्यालय को सौंपे हैं। चर्चा का विवरण निम्नलिखित है:

1. बीएसएनएल द्वारा 4जी सेवाओं का सुचारू रोलआउट और नेटवर्क, बैकहॉल और फील्ड समस्याओं का समाधान:

एआईजीईटीओए और बीटीईयू नेताओं ने 4जी रोलआउट परियोजना की उच्च-स्तरीय निगरानी के लिए माननीय संचार मंत्री और संचार राज्य मंत्री को धन्यवाद दिया। हमने आश्वासन दिया कि कर्मचारी आत्मनिर्भर भारत के दूरसंचार दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और परियोजना के सुचारू रोलआउट में आने वाली शुरुआती समस्याओं के शीघ्र समाधान का अनुरोध किया। माननीय संचार राज्य मंत्री ने बारीकियों पर चर्चा की और नेटवर्क में सुधार के लिए ग्राउंड-लेवल फीडबैक मांगा। हमने कहा कि नेटवर्क में निश्चित रूप से सुधार हो रहा है, लेकिन ग्राहक आधार को बनाए रखने और पुनः प्राप्त करने के लिए कई शुरुआती समस्याओं को तत्काल हल करने की आवश्यकता है। **हमने इस तथ्य पर जोर दिया कि बीएसएनएल एक रणनीतिक सार्वजनिक उपक्रम है और भारत सरकार के दूरसंचार उद्देश्यों को पूरा करने में लगा हुआ है, इसलिए कर्मचारियों के वित्तीय लाभों को अफ्फोर्डेबिलिटी क्लॉज़ से अलग करना और तीसरे पीआरसी का विस्तार तथा दूसरे पीआरसी के बकाया अवशिष्ट लाभों का समाधान करना उचित समय है।** माननीय संचार राज्य मंत्री ने कहा कि वे सर्कल प्रभारियों के साथ 4जी की प्रगति की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं और नेटवर्क में आने वाली समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि एक वर्ष में बीएसएनएल अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के पथ पर होगा। **संचार राज्य मंत्री ने बीएसएनएल के पुनरुद्धार और विकास के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कठिन समय में कंपनी को बनाए रखने में बीएसएनएल कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की और आश्वासन दिया कि कर्मचारियों के लाभों पर समग्र दृष्टिकोण के साथ उचित विचार किया जा रहा है।**

2. बीएसएनएल में सभी कर्मचारियों के लिए तीसरे पीआरसी का कार्यान्वयन:

बीएसएनएल में अफ्फोर्डेबिलिटी क्लॉज़ को हटाकर और वेतन वार्ता प्रक्रिया को पूरा करके तीसरे पीआरसी के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। हमने वेतन वार्ता के दौरान जेई के लिए उचित वेतनमान सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। यह बताया गया कि बीडीएम द्वारा माननीय संचार मंत्री को सौंपे गए एजेंडा बिंदु के अनुसार तीसरे पीआरसी का मुद्दा उनके कार्यालय द्वारा संभाला जा रहा है, लेकिन **माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार बीडीएम की तीसरे पीआरसी की मांग पर सकारात्मक विचार कर रही है।** हमने बताया कि संसद की लोक उपक्रम समिति (सीओपीयू) और स्थायी समिति की रिपोर्टों ने बार-बार बीएसएनएल में मौजूद असमान वेतन और सुविधाओं की संरचना को ठीक करने पर जोर दिया है, **जहां एक समूह को सातवें वेतन आयोग के सभी लाभ मिल रहे हैं, जबकि उसी कंपनी में कार्यरत दूसरा समूह दूसरे पीआरसी के अनिवार्य लाभों से भी वंचित है।** एक प्रेरित और उचित रूप से पुरस्कृत कार्यबल बीएसएनएल के लिए रणनीतिक परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर निष्पादित करने के लिए आवश्यक है। बीडीएम नेताओं ने माननीय संचार मंत्री से उनके कार्यालय के हस्तक्षेप की मांग की ताकि पेंशन संशोधन को बीएसएनएल के वेतन संशोधन से अलग किया जाए, क्योंकि पेंशन सरकार

द्वारा दी जाती है। **इसके जवाब में, माननीय संचार राज्य मंत्री ने कहा कि बीएसएनएल की राजस्व स्थिति में अब सुधार हो रहा है और सरकार जल्द ही इस पर निर्णय** लेगी। एआईजीईटीओए और बीटीईयू तीसरे पीआरसी के मुद्दे पर माननीय संचार मंत्री के साथ अनुवर्ती बैठक के लिए जल्द ही संपर्क करेंगे।

3. डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार 30% परिभाषित योगदान सुपरऐनुअशन लाभ के लिए:

30% सुपरऐनुअशन लाभ का मुद्दा माननीय संचार राज्य मंत्री के कार्यालय द्वारा संभाला जा रहा है और **उन्होंने दृढ़ता से आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को सकारात्मक रूप से सुलझाया जाएगा।** माननीय संचार राज्य मंत्री ने संबंधित वित्तीय प्रभाव और बीएसएनएल भर्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों की वर्तमान स्थिति के बारे में सवाल पूछे, जिनका हमारी टीम ने विस्तार से जवाब दिया। **माननीय संचार राज्य मंत्री ने अपने सचिवालय को निर्देश दिया कि वे बीएसएनएल के साथ मानव संसाधन मुद्दों पर जल्द से जल्द बैठक बुलाएं और कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों पर कोई समझौता न हो, इस पर जोर दिया।**

4. मृत्यु राहत कोष (डीआरएफ) ट्रस्ट का गठन:

बीएसएनएल कर्मचारियों की हाल की अचानक मृत्यु और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर के रूप में मिलने वाले लाभों को सुनने के बाद, **माननीय संचार राज्य मंत्री ने अपने ओएसडी को निर्देश दिया कि इस बिंदु को भी बीएसएनएल के साथ आगामी मानव संसाधन बैठक के एजेंडे में शामिल किया जाए।**

5. मानक वेतनमान का निपटान और जेटीओ/जेएओ/समकक्ष ग्रेड के लिए ई2 और एसडीई/एओ/समकक्ष ग्रेड के लिए ई3 के संशोधित राष्ट्रपति आदेश का जारी करना, वेतन हानि के मुद्दों का समाधान:

माननीय संचार राज्य मंत्री ने कहा कि वेतनमान का मुद्दा माननीय संचार मंत्री के कार्यालय को सौंपा गया है और इसलिए इस मुद्दे को उनके कार्यालय के साथ उठाया जाएगा। हम जल्द ही इस पर समीक्षा बैठक आयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं।

6. सभी पात्र कार्यकारी कर्मचारियों के लिए सभी स्ट्रीम/कैडर में पदोन्नति और सुचारू कैरियर प्रगति और गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए एनईपीपी की समीक्षा:

सभी स्ट्रीम के लिए पदोन्नति के मुद्दे पर चर्चा हुई और बीएसएनएल प्रबंधन को प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया। **माननीय संचार राज्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने बीएसएनएल के साथ इस मुद्दे पर पहले ही समीक्षा बैठक की है, क्योंकि माननीय संचार मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे की निगरानी करने और पदोन्नति आदेश जारी करने का निर्देश दिया है।** माननीय संचार राज्य मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे का ध्यान रखने का आश्वासन दिया और कहा कि वे बीएसएनएल को निर्देश देंगे कि कर्मचारियों को उनकी पदोन्नति मिले और इस प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। **उन्होंने अपने ओएसडी को बीएसएनएल के साथ इस मुद्दे पर अनुवर्ती कार्रवाई करने और इसे शीघ्रता से करने का निर्देश दिया।** टीम ने गैर-कार्यकारी कैडर में नियमित चैनल के माध्यम से पदोन्नति सुनिश्चित करने और परीक्षा की आवश्यकता के बिना एनईपीपी की समीक्षा की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। माननीय संचार राज्य मंत्री ने बीएसएनएल के साथ मानव संसाधन बैठक के दौरान इस पर विचार करने का आश्वासन दिया।

7. "एक कंपनी - एक नीति" सभी कर्मचारियों के लिए भत्तों जैसे परिवहन, बच्चों की शिक्षा, टीए/डीए, बीएसएनएलएमआरएस के अनुसार इनडोर और आउटडोर चिकित्सा कवरेज की बहाली, जेई को मोबाइल हैंडसेट का विस्तार:

हमने वर्तमान स्थिति को समझाया और बताया कि बीएसएनएल अभी भी 1996 की दरों का पालन कर रहा है, जो पूरी तरह से अनुचित है। हमने बीएसएनएल में मौजूद असमानता पर प्रकाश डाला, जहां एक समूह को सभी सुविधाएं और सातवें वेतन आयोग के लाभ मिल रहे हैं, जबकि दूसरे समूह को अफ्फोर्डेबिलिटी के नाम पर दूसरे पीआरसी

की दरों से भी वंचित किया जा रहा है। हमने यह भी बताया कि आउटडोर चिकित्सा भत्ते 2020 की डीए दरों पर स्थिर हैं और न्यूनतम वित्तीय प्रभाव के बावजूद वर्तमान डीए दरों पर नहीं दिए जा रहे **हैं। हमने बताया कि सीओपीयू ने इस असमानता को समाप्त करने की सिफारिश की है, फिर भी बीएसएनएल ने इस विसंगति को समाप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है।** माननीय संचार राज्य मंत्री ने अपने ओएसडी को निर्देश दिया कि भत्तों और सुविधाओं में असमानता को भी बीएसएनएल के साथ आगामी मानव संसाधन बैठक के एजेंडा बिंदु के रूप में शामिल किया जाए ताकि इन असमानताओं को हल किया जाए। टीम ने जेई को मोबाइल हैंडसेट विस्तार की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला, जो फील्ड में महत्वपूर्ण संचालन संभाल रहे हैं। इसे माननीय संचार राज्य मंत्री ने नोट किया।

8. मई और जून 2025 में जारी किए गए स्थानांतरण आदेशों में विसंगतियां:

टीम ने बीएसएनएल द्वारा हाल ही में जारी किए गए स्थानांतरण आदेशों में मनमानी पर प्रकाश डाला। माननीय संचार राज्य मंत्री ने कहा कि यह बीएसएनएल की आवश्यकता के अनुसार कमी वाले सर्किलों में पर्याप्त जनशक्ति सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। हमने बताया कि कमी वाले सर्किलों से भी व्यक्तियों को स्थानांतरित किया गया है और यह प्रक्षेपण कि आदेश आवश्यकता आधारित थे, सही नहीं है। हमने उदाहरणों के माध्यम से समझाया कि आदेशों में प्रचलित स्थानांतरण नीति का कितना उल्लंघन हुआ है। हमने यह भी बताया कि बड़ी संख्या में अदालती मामले दायर किए गए हैं और अधिकांश मामलों में, अदालतों ने बीएसएनएल के खिलाफ आदेश दिए हैं, कुछ मामलों में बीएसएनएल के कुछ कार्यों को दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया कार्य कहा गया है। हमने कहा कि हम स्थानांतरण पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं चाहते, लेकिन जोर दिया कि यह आवश्यकता के आधार पर अधिसूचित नीतियों के दायरे में होना चाहिए। कर्मचारियों को परेशान करने के इरादे से किए गए स्थानांतरणों का हम विरोध करते हैं। हमने बताया कि नीति के तहत स्वीकार्य छूट जैसे पीडब्ल्यूडी, देखभाल करने वाले, चिकित्सा मामले, ओबी, पति/पत्नी, शिक्षा और स्थानांतरण नीति को भी नजरअंदाज किया गया है। ऐसी स्थिति है कि हाल ही में एलआईसीई कोटा के तहत एजीएम के लिए जारी किए गए पदोन्नति आदेशों में, पदोन्नत कार्यकारी कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण दूरस्थ स्थानों पर शामिल होने में असमर्थ था और कार्यकारी कर्मचारियों और संगठन के बार-बार अनुरोध को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज किया गया। हमने माननीय संचार राज्य मंत्री से अनुरोध किया कि वे बीएसएनएल को आदेश में सुधार करने और लंबित ओटीपी अनुरोधों पर विचार करने का निर्देश दें। धैर्यपूर्वक सुनने के बाद, माननीय संचार राज्य मंत्री ने अपने ओएसडी को निर्देश दिया कि इसे बीएसएनएल के साथ आगामी मानव संसाधन बैठक में चर्चा बिंदु के रूप में शामिल किया जाए ताकि इन असमानताओं को हल किया जाए। **माननीय संचार राज्य मंत्री ने अपने सचिवालय को यह भी निर्देश दिया कि स्थानांतरण नीति के अनुसार किए जाएं और स्थानांतरण पोस्टिंग निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए।** बीडीएम नेताओं ने गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी स्थानांतरण नीति को रद्द करने की भी मांग की, जिसमें बड़े बदलाव की आवश्यकता है।

चर्चा के अंत में, हमने बताया कि हाल ही में बीएसएनएल प्रशासन द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के कारण बीएसएनएल में भय का माहौल बन रहा है। इससे बीएसएनएल के बेहतरी के लिए सरकार के सर्वोत्तम सकारात्मक प्रयासों के बावजूद नकारात्मक वातावरण बन रहा है। **हमने कहा कि कोई भी परिवर्तन के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसे निष्पक्ष तरीके से जागरूकता पैदा करने के इरादे से किया जाना चाहिए, न कि उत्पीड़न के साधन के रूप में।** हमने कहा कि ये वही कर्मचारी हैं जिन्होंने सबसे कठिन समय में बीएसएनएल को आगे बढ़ाया और वीआरएस के बाद के युग में बीएसएनएल का बोझ सबसे कुशल तरीके से उठाया, इसलिए उन्हें उनकी उचित मान्यता दी जानी चाहिए। माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि वे सुनिश्चित करेंगे कि चीजें सही तरीके से की जाएं और हमें सकारात्मक और आशावादी रहने के लिए कहा। **उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार बीएसएनएल परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और चिंता करने का कोई कारण नहीं है। माननीय संचार राज्य मंत्री ने अपनी टीम को बीएसएनएल से संबंधित मुद्दों पर एआईजीईटीओए और बीटीईयू के साथ समय-समय पर अनुवर्ती कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।**

माननीय मंत्री ने दोहराया कि बीएसएनएल के लंबित मामलों पर समयबद्ध कार्रवाई गैर-परक्राम्य है। उन्होंने कहा कि वे बीएसएनएल प्रबंधन को निर्देश देंगे कि 4जी रोलआउट की बाधाओं को हल करें, लंबित पदोन्नतियों को शीघ्र करें, और प्रमुख मानव संसाधन विसंगतियों को बिना किसी देरी के निपटाएं और स्थानांतरण अनुरोधों के संशोधन, प्रतिधारण और रद्दीकरण पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से विचार करें। संचार राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार बीएसएनएल को देश का विश्वसनीय, भविष्य के लिए तैयार दूरसंचार प्रदाता के रूप में अपनी स्थिति पुनः प्राप्त करने में मदद करने के लिए हर आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने सभी कर्मचारियों से बीएसएनएल के दृष्टिकोण और मिशन का समर्थन करने के लिए भी कहा।

****